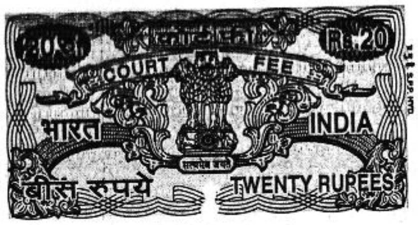

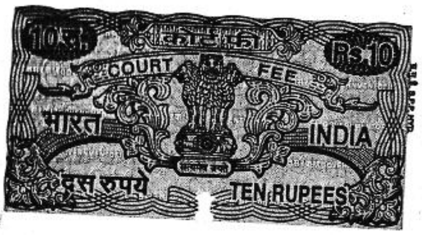

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 पुनरीक्षण

II/ निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/1277

शारदा प्रसाद द्विवेदी पुत्र स्व.श्री रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी

निवासी ग्राम तमरा, तहसील हुजूर, जिला–रीवा म.प्र.

विरूद्ध

1. हीरालाल द्विवेदी पुत्र स्व.सरयू प्रसाद द्विवेदी
2. राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री हीरालाल द्विवेदी
3. मंगल प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री हीरालाल द्विवेदी
4. राकेश प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री हीरालाल द्विवेदी
5. श्रीधर प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री हीरालाल द्विवेदी
6. नन्दकिशोर द्विवेदी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद द्विवेदी

निवासीगण ग्राम तमरा, थाना गोविन्दगढ़

तहसील हुजूर जिला–रीवा म.प्र.

प्र.क्र. 15-2-18
प्रारंभिक तर्क 28-2-18
15-2-18

नायब तहसीलदार तहसील–हुजूर (गोविन्दगढ़) जिला–रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 08/अ–70/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 06/02/2018 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, नायब तहसीलदार महोदय का विवादित आदेश अवैध, अनुचित एवं विचाराधिकार रहित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आंदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक प्र/निग/रीवा/भू.रा./18/1277 शारदा प्रसाद / हीरालाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
09/01/19	आवेदक की ओर से श्री एस. के. वाजपेयी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार हुजूर (गोविन्दगढ़) के प्रकरण क्रमांक 08/अ-70/17-18 में पारित आदेश दिनांक 6-2-18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22/4/19 को कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	